मथुरा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रसड़ा, बलिया

(सम्बद्ध : जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया)

प्रवेश विवरणिका

Admission Brochure

2023–2024

(Website:https://www.mathurapgcollege.com)

डा० ज्ञान प्रकाश वर्मा

प्रशासक/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
वाराणसी

प्रो० धर्मात्मा नन्द

प्राचार्य

मथुरा पी.जी. कालेज, रसड़ा–बलिया

मथुरा स्नातकोत्तर महाविद्यालय

रसड़ा–बलिया

प्रवेश आवेदन, शैक्षणिक सत्रः 2023–24

प्रवेश आवेदन सम्बन्धित विशेष सूचना 2023-24

शैक्षिक स्तर 2023–24 में मथुरा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रसड़ा, बलिया में संचालित स्नातक (कला) एवं स्नातकोत्तर (समाजशास्त्र) में प्रवेश हेतु अर्ह अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि– 25 मई, 2023
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि– 30 जून, 2023

अभ्यर्थी प्रवेश फार्म भरने के पूर्व निम्न सूचनाओं पर विशेष ध्यान दें–

1. आवेदन कर्त्ता अपना मोबाइल नम्बर स्पष्ट रूप से अंकित करे। इसमें त्रुटि होने पर आगे की सूचनायें (Login/OTP) बाधित हो जायेगी।
2. प्रवेश आवेदन–पत्र भरते समय मोबाइल नम्बर, जन्मतिथि, और अधिभार (Weightage) सोच समझ कर अंतिम रूप में स्पष्ट लिखें, क्योंकि Save करने के बाद इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा।
3. प्रवेश आवेदन फार्म Online भरना है। इस स्तर पर आवश्यक सुधार किया जा सकता है।
4. अंतिम रूप से भरे गए फार्म के पश्चात् आवश्यक निर्धारित पंजीकरण शुल्क (Fee) रू0 250/–(दो सौ पचास रूपया मात्र) Online जमा करें, तत्पश्चात् Print Receipt प्राप्त कर लें। रसीद निर्गत होने के पश्चात् ही आप द्वारा भरा गया आवेदन फार्म अंतिम रूप से मान्य होगा।
5. उपयुक्त सूचनाओं की अनदेखी और लापरवाही से आवेदन–पत्र में कोई कमी आपको प्रवेश से वंचित कर सकती है जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. आवेदन पत्र एवं पंजीकरण शुल्क की प्रिन्ट कॉपी काउसिलिंग के समय लाना अनिवार्य होगा।

प्रवेश हेतु नियम एवं निर्देश
(Rules and Instructions for Admission)

1. जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया के अनुसार महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय की प्रवेश समिति में पारित प्रवेश नियमावली के आधार पर सम्पन्न होगी।
2. स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन फार्म भरा जायेगा।
3. आवेदन–पत्र भरने से पूर्व निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ें।
4. प्रवेश के समय ऑनलाइन आवेदन फार्म की एक प्रति, एक नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, एवं अपेक्षित समस्त अंक पत्र/प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ संलग्न करके लाना अनिवार्य है।
5. किसी भी विषय/पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अधिकतम दो वर्ष का अंतराल अनुमन्य होगा।
6. वर्ष 2021 के पूर्व इण्टरमीडिएट/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी स्नातक कक्षा में सत्र 2023–24 में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंग।
7. वर्ष 2021 के पूर्व स्नातक/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी स्नातकोत्तर कक्षा में सत्र 2023–24 में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे।
8. प्रवेश हेतु मेरिट सूची के प्रकाशन के समय एक वर्ष के अंतराल पर 5 गुणांक तथा दो वर्ष के अंतराल पर 10 गुणांक की कटौती के पश्चात् योग्यता गुणांक का निर्धारण होगा।
9. अंतराल हेतु नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र की मूल प्रति प्रवेश के समय जमा करना होगा। शपथ–पत्र इस आशय का होगा कि अभ्यर्थी ने अंतराल वर्ष/वर्षों में कहीं प्रवेश नहीं लिया था और न ही अनुचित साधन प्रयोग में दंडित किया गया था।
10. प्रवेश हेतु ऑनलाइन फार्म भरने की प्रक्रिया बन्द हो जाने के बाद इसे पुनः किसी भी दशा में प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।

11. प्रवेश आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का ही मेरिट के आधार पर प्रवेश लिया जायेगा। किसी भी दशा में प्रवेश आवेदन नहीं करने वाले एवं निर्धारित तिथि के पूर्व प्रवेशावेदन पत्र न भरने वाले अभ्यर्थी का प्रवेश नहींहोगा।
12. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को इण्टरमीडिएट / समकक्ष परीक्षा वाणिज्य वर्ग / कला वर्ग / विज्ञान वर्ग के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
13. स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को सम्बन्धित विषय में स्नातक कक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
14. प्रवेश आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों की मेरिट सूची का प्रकाशन एक ही साथ किया जायेगा तथा निर्धारित सीटों के आधार पर प्रवेश मेरिट के क्रम में होगा।
15. प्रवेश प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आरक्षण नियमों के अन्तर्गत सम्पन्न होगी।
16. प्रवेश के समय समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र एवं सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप में लाना अनिवार्य होगा। टी0सी0 / माइग्रेशन प्रमाण पत्र प्रवेश के समय मूलरूप में जमा करना होगा। उपर्युक्त के अभाव में प्रवेश प्रदान नहीं किया जाएगा तथा मेरिट क्रम में अगले अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
17. प्रवेश संबंधी निर्णय का अंतिम अधिकार प्राचार्य का होगा। वह किसी के भी प्रवेश को बिना किसी कारण का उल्लेख कियेअस्वीकृत या निरस्त कर सकते हैं।
18. स्नातक (बी0ए0) कक्षा में प्रवेश हेतु महाविद्यालय में निर्धारित सीटों की संख्या 420 है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु 10 प्रतिशत (कुल 42) सीटें अतिरिक्त निर्धारित हैं।
19. अभ्यर्थी गण विषयों का चयन भली–भाँति सोच समझकर करें। इसके लिए विश्वविद्यालय से स्वीकृत विषयों की संस्तुतियाँ (Combination of Subjects) एवं मान्य प्रतिबंध दिया जा रहा है। इसका अनुपालन प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
20. स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में CBCS आधारित नवीन पाठ्यक्रम लागू है।
21. स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु विद्यार्थी को अपनी शैक्षणिक अर्हतानुसार एक संकाय (कला, भाषा) का चुनाव करना होगा एवं उसे उस संकाय से दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा जिसमें तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक वह अध्ययन कर सकता है।
22. तीसरे मुख्य (मेजर) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है।
23. विद्यार्थी को तीन मुख्य विषय के अतिरिक्त एक माइनर इलेक्टिव पेपर तथा कौशल विकास एवं सह–विषय कोर्स का भी अध्ययन करना होगा।
24. माइनर इलेक्टिव कोर्स किसी विषय का पेपर होगा न कि पूर्ण विषय। यह तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त किसी चौथे विषय से होगा। माइनर इलेक्टिव पेपर विद्यार्थी किसी भी संकाय से ले सकता है।
25. तीसरे मुख्य विषय एवं माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव छात्र द्वारा इस प्रकार से किया जाएगा कि दोनों में से कम से कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय से होगा।
26. विद्यार्थी को प्रथम एवं द्वितीय वर्ष (स्नातक) एवं स्नातकोत्तर में माइनर इलेक्टिव पेपर (एक पेपर प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा। तृतीय वर्ष में माइनर इलेक्टिव पेपर लेना अनिवार्य नहीं है।
27. विद्यार्थी अपनी सुविधानुसार सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।
28. प्रवेश के अर्ह अभ्यर्थियों की सूची कालेज के वेबसाइट पर जारी कर दी जायेगी। इसके साथ ही प्रवेश सूची नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जायेगी।
29. अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में स्नातक या स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।
30. विषय परिवर्तन सम्भव नहीं होगा और न ही शुल्क आदि का समायोजन किया जायेगा।
31. बी0ए0 में अधिकतम दो ही प्रयोगात्मक विषय लिए जा सकते हैं।
32. प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश प्रदान किये जाने के उपरान्त शिक्षण शुल्क व अन्य शुल्क तीन दिनों के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा।
33. गलत / भ्रामक सूचनाओं के आधार पर लिया गया प्रवेश शुल्क जमा करने के बाद भी निरस्त कर दिया जाएगा एवं किसी भी प्रकार की फीस वापसी नहीं की जाएगी।
34. ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार किसी अभियोग में पंजीकृत अथवा नैतिक पतन के किसी अपराध अथवा किसी आपराधिक मामले में सम्मिलित हो, उसे महाविद्यालय द्वारा प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा यदि तथ्य छिपाकर प्रवेश प्राप्त कर लिया गया है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।
35. काउन्सिलिंग के समय समस्त अभ्यर्थी अपने काउंसलिंग लेटर पर वरीयताक्रम में अपने मुख्य संकाय का चुनाव करते हुए इच्छित विषय पुंज का अंकन करेंगें।
36. अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर महाविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा विषय पुंज का आवंटन किया जाएगा। एक बार काउन्सिलिंग हो जाने एवं विषय पुंज अलॉट हो जाने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होगा।
37. महाविद्यालय द्वारा निर्धारित काउन्सिलिंग तिथि को समस्त मूल प्रमाण पत्र / अंक पत्र लाना अनिवार्य है।
38. प्रवेश के समय मूल टी0सी0 / माइग्रेशन प्रमाण पत्र, अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों (हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट) तथा जाति प्रमाण पत्र एवं अधिभार संबंधी प्रमाण पत्र की छाया प्रति दो प्रतियों में अनिवार्यतः जमा करना होगा।

39. प्रवेश सम्बन्धी समस्त सूचनाओं हेतु महाविद्यालय की वेबसाइट एवं महाविद्यालय के सूचनापट्ट का निरन्तर अवलोकन करें।

प्रवेश हेतु आरक्षण व्यवस्था

1. प्रवेश हेतु अनुसूचित जातिके लिए 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 02 प्रतिशत, तथा अन्य पिछड़ी जाति के लिए 27 प्रतिशत स्थान आरक्षित है।
2. प्रवेश हेतु चुने गये अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय जाति का मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 03 वर्ष से पूर्व निर्गत जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।
4. नवीननिर्धारित प्रारूप पर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।
5. आरक्षण श्रेणी का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अनुमन्य होगा जिनके द्वारा आवेदनपत्र में अपनी आरक्षण श्रेणी का उल्लेख किया गया होगा।
6. उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14 मार्च, 2019 के अनुपालन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य होगा।
7. आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हों।

क्षैतिज आरक्षण (Horizontal reservation)

1. दिव्यांग अभ्यर्थियों की सभी श्रेणियों के लिए (दृष्टिहीन/कम दृष्टि, श्रवणह्रास एवं पालन निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात) पृथक–पृथक एक प्रतिशत (1%) स्थान कुल 03 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को उनकी दिव्यांगता का परीक्षण करने के उपरान्त दिव्यांगता 60 प्रतिशत या 60 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत किया गया प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।
2. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिए 02 प्रतिशत सीट सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है।
3. उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा युद्ध में मारे गये रक्षा कर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र–पुत्रियों को प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 5 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है।
4. सम्बन्धित महाविद्यालय के कर्मियों (शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक) के आश्रितों (यथा–पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री) के लिए 5–5 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है।
5. महिला अभ्यर्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है।

अधिभार के नियम

अधिभार श्रेणी		विवरण	भारांक
अधिभार श्रेणी–A		राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या अंतर्विश्वविद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को निम्नानुसार अधिभार दिया जाएगा	
	1.	एकल प्रतियोगिता	15
	2.	समूह प्रतियोगिता	10
	3.	किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्तर्महाविद्यालयी टूर्नामेंट या खेलकूद प्रतियोगिता	10
अधिभार श्रेणी–B		नेशनल कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना एवं स्काउट एवं गाइड्स के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार भारांक प्रदान किया जाएगा	
	1.	नेशनल कैडेट कोर में (सी) प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा जी–2 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी	15
	2.	नेशनल कैडेट कोर में (बी) प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा जी–1 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी	10
	3.	राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 240 घंटे की सेवा करने वाले एवं 2 या 2 से अधिक शिविरों में भाग लेने वाले अभ्यर्थी	15
	4.	राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 240 घंटे की सेवा करने वाले एवं 1 विशेष शिविर भाग लेने वाले अभ्यर्थी	10
	5.	राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 240 घंटे की सेवा करने वाले अभ्यर्थी	05
	6.	स्काउट एवं गाइड्स का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अथवा रोवर्स/रेंजर्स राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी	15
	7.	स्काउट एवं गाइड्स का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अथवा रोवर्स/रेंजर्स निपुण अभ्यर्थी	10
	8.	स्काउट एवं गाइड्स ध्रुवपद या गुरुपद अथवा रोवर्स/रेंजर्स तृतीय सोपान में प्रवीण प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी	10
अधिभार श्रेणी–C	1.	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के पुत्र या पुत्री या अविवाहित पुत्री	15
	2.	ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत या विसैन्यीकृत या सेवा निवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी हों या ऐसे कर्मचारी से पुत्र या पुत्री के रूप में सम्बन्धित हों या ऐसे अभ्यर्थी जो अपंग, लापता या मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी से उनके पुत्र, पुत्री, पत्नी के रूप में सम्बन्धित हों	15
	3.	ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पिता अथवा पति पुलिस या पी0ए0सी0 या बी0एस0एफ0 या एस0एस0बी0 या आई0टी0बी0पी0 या सी0आर0पी0एफ0 या होमगॉर्ड में सेवारत हों या सेवानिवृत्त, अपंग या मृत हो गए हों (प्रमाण पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए)	15
	4.	ऐसी महिला अभ्यर्थी जो विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता हो (ऐसे अभ्यर्थी को विधिक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा)	15

नोटः अधिकतम अधिभार केवल 25 गुणांक ही देय होगा।

महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर संकायवार विषयों की सूची–

A. कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय

1. भूगोल
2. शिक्षाशास्त्र
3. राजनीति विज्ञान
4. समाजशास्त्र
5. अर्थशास्त्र

B. भाषा संकाय

1. हिन्दी
2. संस्कृत

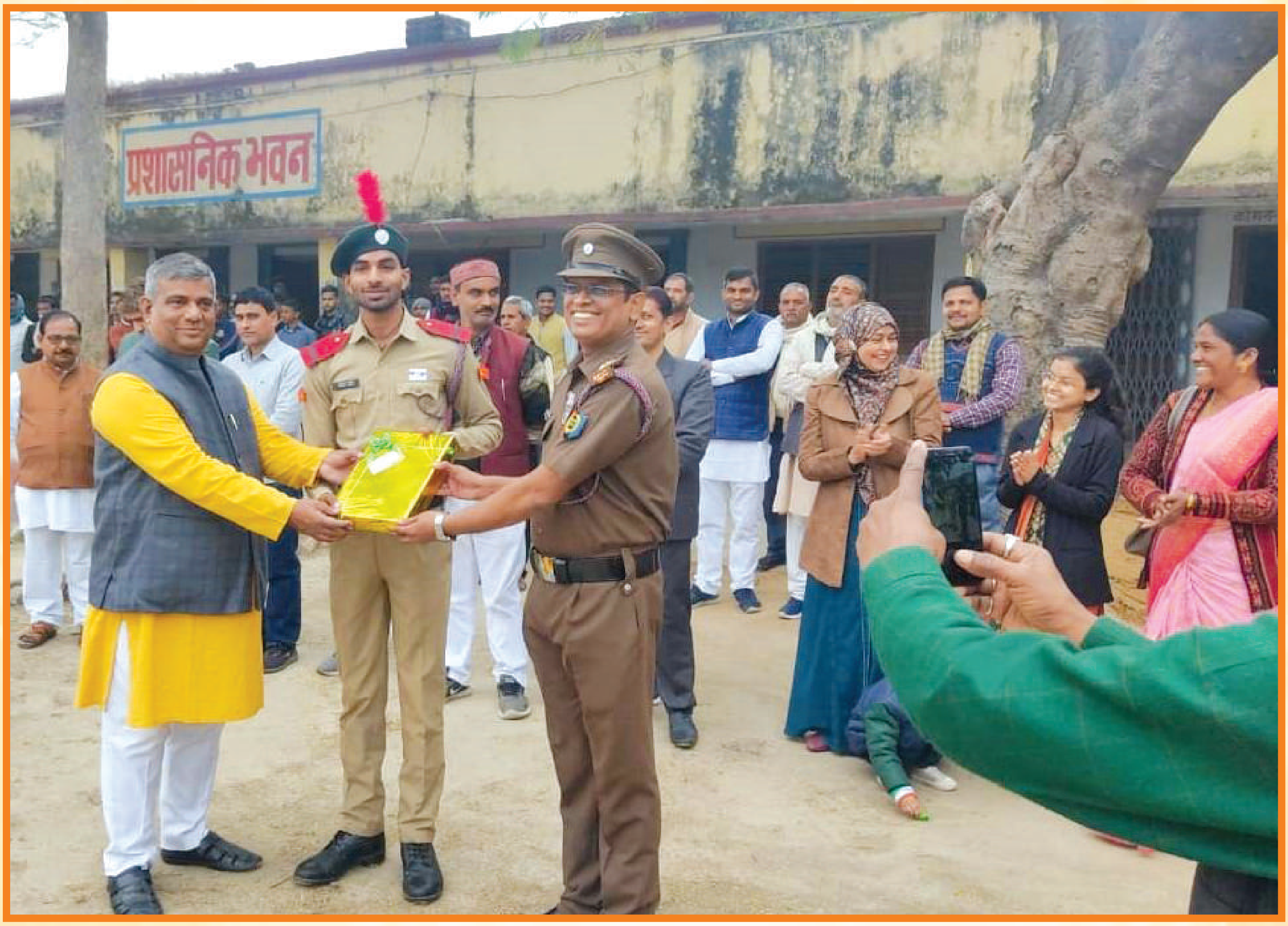

(Website:https://www.mathurapgcollege.com)